न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)
बइजलास :- श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

दावा संख्या - 184/2017

(1) मांगीलाल पुत्र नानगराम जाति मीणा निवासी-ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ (जयपुर)

......वादी

बनाम

(1) पांचूराम पुत्र नानगराम
(2) रामलाल पुत्र नानगराम
(3) द्रोपदी देवी पत्नि भगवान सहाय
समस्त जाति मीणा निवासी-ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ (जयपुर)
(4) राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला- जयपुर।

....प्रतिवादीगण

(1) वादी वकील - श्री सत्यनारायण माहेश्वरी
(2) प्रतिवादी वकील - श्री किशनलाल स०3

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज० काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक- 31/07/2019

वादी ने एक वाद बाबत बंटवारा →
P.T.O

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned by CamScanner

मांगीलाल बनाम पान्चुराम वगैरा
दावा संख्या- 184/2017

(2)

स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 188 RT. Act के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि, ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि ख०न० 255 रकबा 0.67 हेक्टेयर, ख०न० 295 रकबा 0.32 कुल कितो 2 कुल रकबा 0.99 हेक्टेयर स्थित है। जिसपर वादी काश्त रिकार्ड हिस्से 1/3 पर कब्जा काश्त पर काश्त करता चला आ रहा है उक्त विवादित भूमि का अभी तक विधिक तकासमा नही हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे मध्य नजर रखते हुऐ सरस नक्श के आधार पर तकासमा किया जाकर खाता पृथक- पृथक कायम किया जावे।

दिनांक 18/6/2018 न्याय आपके द्वारा कैम्प मामोता में उक्त वादग्रस्त भूमियो की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तथा तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये गये कि दोनो पक्षो को सूचित करते हुऐ उनकी मौजूदगी में कुर्रेजात के प्रस्ताव तैयार कर, कुर्रेजात रिपोर्ट तीन- तीन प्रतियों में अलग- अलग संलग्न कर भिजवावे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/LR/18/546/ दिनांक 23/09/18 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मिसल को पत्रावली में संलग्न है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मांगीलाल बनाम पांचूराम

दावा संख्या - 184/2017

(3)

करने पर प्राप्त फुर्दजात रिपोर्ट के अनुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है।-

मांगीलाल पुत्र नानगराम, पांचूराम पुत्र नानगराम जाति मीणा सा० देह को ख०न० 253। रकबा 0.45 चाही 1 व 295। रकबा 0.21 चाही। लगान 1.50 रुपये कायम किया जाता है।

गोविन्दी पत्नि भगवान सहाय जाति मीणा सा० देह को ख०न० 255 रकबा 0.22 चाही। व 295 रकबा 0.11 चाही लगान 9.50 रुपये कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की जाती है। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद बाद तामील दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 14:39:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: